

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE  
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

(INCOME-TAX)

Notification

New Delhi, the 20<sup>th</sup> October, 2015

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by section 295, read with clause (47) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax ( 17<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2015.  
(2) They shall come into force from the 14<sup>th</sup> day of May, 2015.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2F, for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) The Infrastructure Debt Fund shall be set up as a Non-Banking Financial Company conforming to and satisfying the conditions provided by the Reserve Bank of India in the Infrastructure-Debt Fund - Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011, *vide* notification No. DNBS.233/CGM (US)-2011, dated the 21st November, 2011 as amended *vide* notification No. DNBR.020/CGM (CDS) – 2015, dated the 14<sup>th</sup> May, 2015.

(2) The funds of the Infrastructure Debt Fund shall be invested only in Post Commencement Operation Date Infrastructure Projects which have completed at least one year of satisfactory commercial operations that are-

- (i) Public Private Partnership Projects and are a party to tripartite agreement with the concessionaire and the project authority for ensuring compulsory buy out and termination payment;
- (ii) Non-Public Private Partnership Projects and Public Private Partnership Projects without a project authority, in sectors where there is no project authority”.

[Notification No. ~~84~~---/2015/ F.No.133/43/2015-TPL]



(R. LAKSHMI NARAYANAN)  
Under Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, part III, section 3, sub-section (i), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and were last amended *vide* notification number S.O. ~~2860~~(E), dated the 19<sup>th</sup> October, 2015.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 20 अक्टूबर, 2015

का.आ. ....(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 47 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2015 है ।  
(2) ये नियम 14 मई, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम 1962 में, नियम 2च में, उप नियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(1) अवसंरचना ऋण निधि की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना सं. डीएनबीआर 020/सीजीएम (सीडीएस)-2015, तारीख 14 मई, 2015 द्वारा यथासंशोधित तारीख 21 नवंबर, 2011 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस 233/सीजीएम (यूएस) - 2011 अवसंरचना विकास निधि, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (रिजर्व बैंक) निवेश, 2011 द्वारा उपबंधित शर्तों को पूरा करते हुए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में की जाएगी ।

(2) अवसंरचना ऋण निधि की निधियों का विनिधान केवल पश्च प्रचालन प्रारंभ अवसंरचना परियोजनाओं, जिन्होंने वाणिज्यिक प्रचालन का कम से कम एक वर्ष समाधानप्रद रूप से पूरा कर लिया है, जो निम्नलिखित हैं -

(i) लोक प्राइवेट सहभागिता परियोजनाएं और जो रियायतग्राही और परियोजना प्राधिकारी के साथ संदाय के अनिवार्य क्रय और समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए त्रिपक्षीय करार में एक पक्षकार हैं;

(ii) ऐसे सैक्टरों में जहां कोई परियोजना प्राधिकारी नहीं है, बिना किसी परियोजना प्राधिकारी के गैर-लोक प्राइवेट सहभागिता परियोजनाएं और लोक प्राइवेट सहभागिता परियोजनाएं।

(अधिसूचना सं. 84...../2015/फा.सं. 133/43/2015-टीपीएल)

अ. लक्ष्मी नारायण

(आर. लक्ष्मीनारायणन)

अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 2860(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा संशोधित किए गए।